भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1273

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधि का उपयोग

1273. **श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, पीएम मातृ वंदना योजना, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन और अन्य संबंधित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान सरकार द्वारा कितनी निधि आवंटित/जारी की गई है;

(ख) उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत उक्त निधि के उपयोग का ब्यौरा क्या है और पोषण, मानदेय, अवसंरचना, सेवा वितरण, प्रचार/प्रशासनिक व्यय जैसे मदों के साथ-साथ निधियों के उपयोग के विशिष्ट उद्देश्यों का वर्षवार/जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास उक्त राज्य में इन योजनाओं के अंतर्गत आवंटन/वास्तविक व्यय और परिणामों से संबंधित कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/लेखापरीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजनाओं में से किसी के अंतर्गत कम उपयोग, विलंब/क्षेत्रीय असमानताओं के मामले, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख) छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई निधियों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया।

(ग) और (घ) नीति आयोग ने वित्तीय वर्ष 2019 से 2024 के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन कराया है। इस अध्ययन में पाया गया कि मंत्रालय की योजनाएँ अत्यंत प्रासंगिक हैं।

मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाएँ केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (सीएसएस) हैं तथा इनका कार्यान्वयन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं के लिए बजट आवंटन को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी आवश्यकताओं और पिछले वर्षों के व्यय के रुझान के संबंध में प्राप्त जानकारी के

आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। सीएसएस के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपने हिस्से की निधि देनी होती है। इसके आलावा, कुल उपलब्ध निधि का न्यूनतम 75% व्यय करना तथा व्यय विवरण (एसओई) और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है ताकि मंत्रालय केंद्रीय निधि जारी कर सके। यदि उपयुक्त शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो केंद्रीय निधि जारी करना प्रभावित/विलंबित हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के अंत में अप्रयुक्त राशि बच जाती है।

निधि के उपयोग सहित योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित आधार पर विभिन्न उच्च स्तरों पर फिजिकल मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस और क्षेत्र दौरों के माध्यम से की जाती है।

*****

अनुलग्नक

लोक सभा में दिनांक: 06.02.2026 उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1273 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान मंत्रालय की योजनाओं के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को जारी/उपयोग की गई निधि का विवरण

(रु करोड़)

<table>
<tr><th>क्रम संख्या.</th><th>राज्य/संघक्षेत्र</th><th>योजना</th><th>वित्तीय वर्ष 2023-24</th><th>वित्तीय वर्ष 2024-25</th><th>वित्तीय वर्ष 2025-26</th></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0</td><td>579.46</td><td>733.30</td><td>372.27 31.01.2026 (की स्थिति के अनुसार)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">मिशन वात्सल्य</td><td>44.66</td><td>39.10</td><td>मिशन वात्सल्य योजना 01.07.2025 से एसएनए स्पर्श के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। एसएनए स्पर्श में 30.80 करोड़ रुपये की मूल स्वीकृति और 16.80 करोड़ रुपये का बिल एसएनए स्पर्श में समायोजन किया गया (02.02.2026 तक)।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td rowspan="2">मिशन शक्ति</td><td>वन स्टॉप सेंटर</td><td>8.82</td><td>9.46</td><td>7.48 28.01.2026 (की स्थिति के अनुसार)</td></tr>
<tr><td>महिला हेल्पलाइन</td><td>0.55</td><td>0.27</td><td>0.16 28.01.2026</td></tr>
</table>

					(की स्थिति के अनुसार)
		बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	0.00	0.00	3.26 28.01.2026 (की स्थिति के अनुसार)
		शक्ति सदन	1.01	0.34	0.82 02.02.2026 (की स्थिति के अनुसार)
		सखी निवास	0.27	0.05	0.12 02.02.2026 (की स्थिति के अनुसार)
		प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	0.00	68.72	54.58 01.02.2026 (की स्थिति के अनुसार)
		पालना	19.75	0.07	1.45 करोड़ रुपये की मूल स्वीकृति राशि में से 1.26 करोड़ रुपये की निकासी/व्यय (दिनांक 30.01.2026 तक)
		राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण केंद्र	0.00	0.36	3.08

****